as decided for the Budget Estimates 1995-96, is as under:

	Rs. Crores
(a) Internal & Extra Budgetary Resources—	2019.00
(b) Gross Budgetary Support—	241.00
Total —	2260.00

(c)and (d) Yes, Sir; achievements of CIL during 1994-95 are:

Production (in million tonnes)	223.07
Labour Prodcutivity (in tonnes per manshift)	1.63
Off take of coal (in million tonnes)	222.54
Wagon loading (average four wheeler wagons per day)	15937

(e) The resources are raised to meet the investment requirements of the company for its mining and non-mining projects.

Payment of Statutory Dues to PSUs

*4. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Starred Question 112 given in Rajya Sabha on 7th August, 1995 and state:

(a) whether a co-ordination mechanism, has suggested, has been formed to review the status of payment of statutory dues to the workers of CPSUs;

(b) if so, the status of the same with respect to CPSUs; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir,

(b) and (c) The matter is under consideration.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल व्यक्ति

*5. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रणाली में कौन-कौन सी वस्तु किस-किस भाव पर वितरित की जाती है;

(ग) ये भाव बाजार भाव से कितने कम हैं; और

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से समाज के कुछ वर्गों को निकालने पर विचार कर रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार, देश में सभी परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी प्रचालनात्मक पहलुओं जिनमें राशन कार्डों को जारी करना, प्रत्येक परिवार के लिए हकदारी का निर्धारण करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के खुदरा वितरण की व्यवस्था करना आदि शामिल है, की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार ने छः मुख्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी आपूर्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इन वस्तुओं और उनके चालू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों का ब्यौरा निम्नवत है:—

वस्तु	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
1. चावल — कॉमन.....	597 रु॰ प्रति क्विंटल
फाइन	677 रु॰ प्रति क्विंटल
सुपर फाइन....	708 रु॰ प्रति क्विंटल
2. गेहूं.....	402 रु॰ प्रति क्विंटल
3. लेवी चीनी	9.05 रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ (अन्तिम खुदरा मूल्य)

4. आयातित खाद्य तेलः

थोक ..... 24,000 रु० प्रति मी० टन
15 कि०ग्रा० के टिनों में..... 27,000 रु० प्रति मी० टन

5. सुपीरियर मिट्टी का तेल 2201.54 रु० प्रति किलो लीटर

6. सॉफ्ट कोक..... 175 रु० प्रति क्विंटल

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर विशेष रूप से राजसहायता दी गई है और वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50 रु० प्रति क्विंटल कम हैं।

लेवी चीनी को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्तिम खुदरा मूल्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय लेवी/करों, थोक/खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन और स्थानीय ढुलाई/रखरखाव प्रभारों को शामिल करने के बाद निर्धारित किए जाते हैं। लेवी चीनी देश भर में 9.05 रु० प्रति कि०ग्रा० के एक समान खुदरा मूल्य पर बेची जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्तिम खुदरा मूल्यों में अलग-अलग राज्यों तथा एक ही राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अन्तर हो सकता है। इन वस्तुओं के खुले बाजार मूल्यों में भी अलग-अलग जगहों और भिन्न-भिन्न समय पर अन्तर होता है। आमतौर पर किसी वस्तु के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्तिम खुदरा मूल्य उसी वस्तु के खुले बाजार मूल्य की तुलना में कम होते हैं।

इस समय केन्द्रीय सरकार का विचार किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग करने का नहीं है।

*6. *[Cancelled]*

Coal Mine accidents in Bihar

*7. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the number of accidents which occurred in the coal mines in Bihar during the current year;

(b) the number of persons killed/injured in these accidents;

(c) whether the Government are taking steps for safety of the coal miners;

(d) what type of compensation has been paid to the persons; and

(e) the efforts made by the Government to reduce the accidents and eliminate all potentially dangerous occurrences and unsafe practices in the mine working?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) As per provisional data provided by the Directorate General Mines Safety (DGMS) 181 accidents have been reported in coal mines in the State of Bihar during the period January-October, 1995. As a result of these accidents 128 persons lost their lives (including 64 persons in Gaslitand colliery) and 138 persons received serious bodily injuries.

(c) and (e) In addition to the provisions for safety of persons employed in coal mines as contained in the Mines Act, 1952 and rules and regulations framed thereunder that are to be complied with by various categories of persons working in the coal mines, special thrust is being laid on the following activities with the objective of reducing accidents in coal mines:—

(i) Surprise inspections by officers of Internal Safety Organisation (ISO) to check the safety status with special attention in the areas of roof support in underground mines;

(ii) Alertness on the part of the Chiefs of (ISO) of subsidiary companies of Coal India Limited (CIL) against the sources of danger as revealed by inspections and by accident enquiry reports;

(iii) Periodical review of safety performances of each subsidiary company at CIL level in coordination meetings, and of the progress of corrective measures;

(iv) Scrutiny of Safety audit reports to find out the safety lapses existing in the mines and Chiefs of subsidiary